

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 01.07.2016

बैठक सूचना

निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में जिला जैसलमेर में दिनांक 07.07.2016 को प्रातः 11:00 बजे जिला कलेक्ट्रेट मिटिंग हॉल, जैसलमेर में बैठक आयोजित की गयी है। बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

बैठक में प्रतिभागी	एजेण्डा
माननीय सांसद जैसलमेर, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हस्तान्तरित 5 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, लाईन विभाग के अधिकारी एवं समस्त विकास अधिकारी।	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

उक्त बैठक में राज्य स्तर से निम्न अधिकारी से निवेदन है कि कृपया बैठक में भाग लेने का श्रम करें :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 अतिरिक्त उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन प्रथम), पंचायती राज।
- 8 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 9 संबंधित जिला प्रभारी।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर द्वारा जनप्रतिनिधियों का बैठक में भाग लेने हेतु सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण जारी करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला प्रभारी अधिकारी की होगी।



परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
9. निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
10. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज विभाग।
13. जिला प्रभारी, मुख्यालय, जैसलमेर।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।



परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू)